GAD-GEN/GEN/245/2023-XXXI-A-1-General Administration Department

/162261/2023

संख्याः /570 XXXI(15)G / 23–03(वि.सभा / 2018)

प्रेषक,

डॉ. एस.एस. सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून : दिनांक 16 अक्टूबर, 2023

विषयः संसद एवं राज्य विधान सभा के मा. सदस्यों के प्रति समुचित शिष्टाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 293 / XXXI(15)G / 23–03 (वि.सभा / 2018) दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं पत्र संख्या 264 / XXXI(15)G / 23–03 (वि. सभा / 2018), दिनांक 17 फरवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा संसद एवं राज्य विधानसभा के मा. सदस्यों के प्रति समुचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को भी कठोर निर्देश दें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 16-10-2023 19:57:00

भवदीय,

(डॉ. एस.एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

संख्याः XXXI(15)G / 23–03(वि.सभा / 2018), तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के कम में।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन.आई.सी. / मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:– 1610 /01व्यक–सा0/23 दिनांक:– 27/10/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/पत्रावली हेतु।

27/10/2023

अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
विभागाध्यक्ष, कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
27.X.23

संख्याः 264 / XXXI(15)G / 23-03(वि.सभा / 201

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादूनः दिनांक 17 फरवरी, 2023

विषय : संसद एवं राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पूर्व पत्र संख्याः 293 / XXXI(15)G / 23-03(वि.सभा / 2018 दिनांक 01 जुलाई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से संसद एवं राज्य विधान सभा के मा. सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त राजकीय कार्मिकों से उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2020 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन सहित यह भी अपेक्षित है कि संसद एवं राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित किए जाने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उनका फोन रिसीव कर उनसे वार्ता की जाय, किन्तु यदि बैठक के दौरान फोन रिसीव किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो तो बैठक की समाप्ति के तुरन्त बाद सम्बन्धित मा. जनप्रतिनिधि से फोन कर अवश्य सम्पर्क स्थापित कर लिया जाय तथा इंगित विषय के सम्बन्ध में यथासंभव शीघ्र परीक्षण करते हुए विधि अनुसार निर्णय लेकर सम्बन्धित महानुभाव को भी अवगत कराते हुए सुशासन एवं श्रेष्ठ आचरण का उदाहरण प्रस्तुत किया जाय।

3. कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन अपने प्रभाराधीन विभाग / विभागों के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर कराने हेतु यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त.

भवदीय,

(डॉ. एस. एस. संधु)
मुख्य सचिव।

संख्याः 264 / XXXI(15)G / 23-03(वि.सभा / 2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन.आई.सी. / मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

संख्या-293/xxxi(15)G/20-03(वि०सभा०)/2018

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः दिनांक 0 [illegible] 2020**

विषयः— संसद सदस्यों/राज्य विधान सभा के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन स्तर से मा0 सांसदों/मा0 राज्य विधान सभा के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए पुनः निम्नानुसार दिशा—निर्देश सभी शासकीय सेवकों के अनुपालन हेतु जारी किये जा रहे हैं:—

i. शासकीय सेवकों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधान सभा के सदस्यों के प्रति हर समय शिष्टाचार तथा आदर का भाव प्रदर्शित करना चाहिए।

ii. एक ओर जहाँ सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा कही गयी बातों को धैर्यपूर्वक सुनकर उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए वहीं दूसरी ओर उन्हें ऐसे समस्त मामलों में गुण दोष तथा विवेकपूण निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए।

iii. प्रत्येक अधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि वह संसद सदस्यों एवं राज्य विधान सभा के सदस्यों के महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में यथा संभव सहायता करें तथापि ऐसे मामलों में जहां कोई अधिकारी किसी सदस्य के अनुरोध या सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ पाता हो, तो उसे अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से माननीय सदस्य को शिष्टतापूर्वक अवगत करा देना चाहिए।

iv. इस बात का अहसास किया जाता है कि अनेक अधिकारियों के सार्वजनिक कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व बहुत अधिक होते हैं। प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिये उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने दैनिक कार्य की एक रूप रेखा बनायें और उसके अनुसार चलें। प्रत्येक अधिकारी को संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य द्वारा उससे मिलने की इच्छा व्यक्त करने की दशा में आपसी सहमति से मिलने का समय प्राथमिकता के आधार पर नियत करना चाहिए तथा बैठक हेतु समय से उपलब्ध होना चाहिए। यदि नितान्त अपरिहार्य परिस्थिति में अधिकारी का नियत समय पर सांसद/ विधान सभा सदस्य से मिल पाना सम्भव न हो तो उसे तत्काल इसकी जानकारी सम्बन्धित महानुभाव को देना चाहिए ताकि उन्हें असुविधा न हो। संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य द्वारा

बिना समय निर्धारित किये पधारने की दशा में उस अधिकारी को चाहिये कि सम्बन्धित महानुभाव के बैठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवाकर पहले से समय निश्चित कर आये हुए आगन्तुक से मिलने के तुरन्त पश्चात संसद/विधान सभा सदस्य से मिलें अथवा नितान्त अपरिहार्य परिस्थिति में ऐसा न करने की स्थिति में आपसी सुविधा से मिलने का समय नियत करें।

v. संसद सदस्य या राज्य विधान सभा सदस्य किसी अधिकारी से मिलने आने पर उस अधिकारी को चाहिये कि वह खड़े होकर उनका स्वागत करें तथा चलते समय उन्हें खड़े होकर विदा करें। छोटी—छोटी सदभावनाओं का प्रतीकात्मक महत्व होता है। संसद सदस्यों तथा राज्य विधान सभा के सदस्यों के प्रति व्यवहार करने में अधिकारियों को अत्यन्त सावधानी से उचित शिष्टता बरतनी चाहिये।

vi. सार्वजनिक समारोहों के प्रत्येक अवसर पर बैठने की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में किसी गलतफहमी के लिये कोई गुंजाइश न रह जाए। संसद सदस्यों का स्थान राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित पूर्वताधिपत्र (वारंट आफ प्रिसीडेन्स) एवं संलग्न अनुदेशों में स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है जिसका ध्यानपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। इन अनुदेशों में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि राज्य विधान सभा के जो सदस्य दिल्ली में होने कारण राजकीय समारोहों में आमंत्रित किये जायें उनके बैठने का स्थान संसद सदस्यों के ठीक बाद में होना चाहिये। विलम्ब से आने वाले संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य को कोई असुविधा न हो, इसके लिये उनके लिये सामूहिक रूप से आरक्षित स्थानों को, समारोह के अन्त तक खाली रखा जाना चाहिये और उस पर अन्य व्यक्तियों को बैठने नहीं दिया जाना चाहिये, भले ही वे खाली क्यों न हों। संसद एवं विधानसभा सदस्यों के लिये जो व्यवस्था की जाय वह कम से कम उतनी ही आरामदेह तथा प्रमुखता वाली स्थान पर हों जैसा कि अधिकारियों के लिये की गयी हो।

vii. संसद सदस्यों और राज्य विधान सभा के सदस्यों से प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति तत्परता से स्वीकार की जानी चाहिए। ऐसे सभी पत्रों पर सावधानी से विचार कर उचित स्तर से और शीघ्रतापूर्वक उनका उत्तर दिया जाना चाहिये। अधिकारियों को चाहिये कि संसद सदस्यों और राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर स्थानीय महत्व के मामलों से सम्बन्धित ऐसी सूचनाएँ और आंकड़े जो सुगमतापूर्वक उपलब्ध हों और गोपनीय न हों, उन्हें उपलब्ध करा दें। यदि किन्हीं मामलों में किसी महानुभाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता तो ऐसे विषयों में उच्चतर अधिकारियों से अनुदेश प्राप्त किये जाने चाहियें।

viii. सरकारी कर्मचारी, संगत आचरण नियमावली (कान्डक्ट रूल्स) से शासित होते हैं। उसके अन्तर्गत उन्हें इस बात का निषेध है कि वे सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों अथवा अपने निजी हितों के लिये किसी संसद सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें।

ix. संसद सदस्यों एवं राज्य के विधान सभा के सदस्यों के फोन तत्परता से उठाये जायें त सम्यक शिष्टाचार के अनुकूल उत्तर दिया जाय। यदि किसी विशेष परिस्थिति तात्कालिक रूप से फोन पर वार्ता सम्भव न हो तो यथाशीघ्र लैण्डलाईन व मोबाईल के माध्यम से उक्त महानुभाव से शीघ्र सम्पर्क स्थापित किया जाये।

2– आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि कृपया उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर के साथ–साथ अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों निगमों/उपक्रमों को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अविलम्ब आवश्यक निर्देश जारी करते हुए इन आदेश का अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या– /XXXi(15)G/20–03(वि0सभा0)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)